

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2015/फाल्गुन 12, 1936

No. 125]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2015/PHALGUNA 12, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2015

सं. 06/2015-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 170(अ).-अभिहीत प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मद 84775100 के अंतर्गत आने वाले "टायर क्यूरिंग प्रैसिस, एक्सैप्ट सिक्स डे लाइट क्यूरिंग प्रैस फार क्यूरिंग बाई-सिकल टायर्स" के आयात के मामले में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 01/2010-सीमा शुल्क, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 21(अ), के अंतर्गत दिनांक 8 जनवरी, 2010 को प्रकाशित की गई थी के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा(5) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण नियम 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 की शर्तों के अनुसार भारत के राजपत्र असाधारण, भाग I, खंड 1 में दिनांक 7 जनवरी, 2015 को प्रकाशित दिनांक 7 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या के तहत 15/22/2014-डीजीएडी के अंतर्गत समीक्षा आरंभ की है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) की शर्तों के अनुसार एक और वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) तथा उपधारा (5) तथा उक्त नियम के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 01/2010-सीमा-शुल्क, दिनांक 8 जनवरी, 2010 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 21(अ), दिनांक 8 जनवरी, 2010 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात् निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा अर्थात्—

“3. उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, 7 जनवरी, 2016 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू होगी यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाए।

[फा. सं. 354/80/2009-टीआरयू (भाग-I)]

अध्यय जोशी, अवसर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 1/2010-सीमा शुल्क, तारीख 08 जनवरी, 2010, सा.का.नि. 21(अ), तारीख 8 जनवरी, 2010 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 26/2012-सीमा शुल्क, तारीख 14 मई, 2012 में जो सा.का.नि. 361(अ), तारीख 14 मई, 2012 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2015

No. 06/2015-Customs (ADD)

G.S.R. 170(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification number 15/22/2014-DGAD, dated the 7th January, 2015, published in Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 7th January, 2015, have initiated review, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on “Tyre Curing Presses, except Six Day Light Curing Press for curing bi-cycle tyres” falling under the tariff item 8477 51 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the People’s Republic of China, imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2010-Customs, dated the 8th January 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 21 (E), dated the 8th January, 2010, and have requested for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of Rule 23 of the said Rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2010-Customs, dated the 8th January 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 21(E), dated the 8th January 2010, namely:—

In the said notification, after Paragraph 2, the following shall be inserted, namely:—

“3. Notwithstanding anything contained in Paragraph 2 above, this notification shall remain in force up to and inclusive of 7th January, 2016 unless revoked earlier.”.

[F. No. 354/80/2009-TRU (Pt-I)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note: The principal NOTIFICATION No. 01/2010-Customs, dated the 8th January, 2010 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 21(E), dated the 8th January, 2010 and was last amended *vide* NOTIFICATION No. 26/2012-Customs (ADD), dated the 14th May, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 361(E), dated the 14th May, 2012.